भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केन्द्रीय), कोलकाता

8, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता- 700 001.

निविदा संदर्भ संख्या :- अभिलेख-I/ए एम सी/फोटोकॉपियर मशीन/2017, दिनांक 06.12.2016

निविदा दस्तावेज जारी करने की तिथि : 06.12.2016

निविदा दस्तावेज प्राप्ति की अंतिम तिथि : 13.12.2016 3.00 बजे अपराह्न तक

निविदा खुलने का समय एवं तिथि : 14.12.2016 3.00 बजे अपराह्न

निविदा खुलने का स्थान : प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केन्द्रीय), कोलकाता 8, किरण शंकर रॉय रोड, जी. आई. प्रेस बिल्डिंग (पूर्व स्कंध) कोलकाता- 700 001.

विषय : फोटोकॉपियर मशीनों के वार्षिक रख-रखाव संविदा।

समान्य नियम एवं शर्तें (जी टी सी)

1. फोटोकॉपी मशीनों के समग्र वार्षिक रख-रखाव संविदा (ए एम सी) कार्य हेतु विक्रेता/एजेंसी/संगठन और/या उनसे विशेषकर जिन्हे सरकारी या अर्ध-सरकारी आदि में अनुभव हो से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किये जाते है।
2. संविदा की समय सीमा : एक साल या अनुबंध-I में वर्णित अवधि।
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय (केन्द्रीय) कोलकाता के अभिलेख-I अनुभाग में उपर निर्दिष्ट समय एवं तिथि को बोली प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि किसी कारण से बोली प्रस्तुत करने की तारीख प्रधान निदेशक द्वारा छुट्टी घोषित की जाती है तो उसके अगले कार्य दिवस तक लिए गए समय तक प्रभावी होगा।
4. अनुरक्षण संविदा (एम सी) व्यापक होगी जिसमें निवारक अनुरक्षण/फोटोकॉपी मशीनों के मासिक नियमित सेवाएं /या किन्ही मदों का प्रतिस्थापन/मालों का अतिरिक्त पुर्जे/फोटोकॉपी मशीनों को चालू रखने और खराबी/बाधा से दूर रखने के लिए मानक गुणवता बनाये रखना शामिल है।
5. ए एम सी प्रभार में उपभोज्य मदें जैस कार्टिज, टोनर, कागज को छोड़कर शामिल होंगे।
6. कोटेशन प्रस्तुत करने से पहले विक्रेता सिस्टम/मशीन को किसी भी कार्य दिवस को 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न के बीच निरीक्षण कर सकते है।
7. विक्रेता अनुबंध-I में वर्णित सभी प्रकार के ब्रांडेड मशीनों के लिए दर अवश्य उद्धृत करेंगे जैसा कि अनुबंध-I में वर्णित है। अधुरे उद्धृत दर जैसे कि विक्रेता ने किसी खास ब्रांड का दर उद्धृत किया और अन्य ब्रांडों के दर को खाली रखा, को निरस्त किया जा सकता है।
8. सफल बोलीकर्ता को किसी भी स्तर पर नियम एवं शर्तें/करार के उलंघन करते पाया गया तो विक्रेता को बिना कोई सूचना दिए हटा दिए जाएंगे।

9. सभी मशीनों को कार्यालय परिसर में ही सर्विस कराया जाएगा (इसमें अनुबंध-। में वर्णित निवासी लेखापरीक्षा कार्यालय शामिल है)। यदि 24 घंटे के भीतर समस्या का सामाधान नही हो तो एजेंसी पर्याप्त मात्रा में स्टैंड वाई मशीन की व्यवस्था करेगी।

10. सभी शिकायत 24 घंटे के भीतर दूर करना होगा। इसमें असफल होने पर आर्थिक दंड लगायें जाएंगे।

11. इस संविदा में वर्णित ए एम सी दर अनुबंध-। में वर्णित अवधि तक मान्य होगा।

12. इस संविदा से संबंधित सामग्री पर और सेवाओं पर देय बिक्री कर या अन्य कोई कर या शुल्क विक्रता द्वारा देय होगा प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय कोलकाता द्वारा ऐसे करों या शुल्कों में कोटेशन खुलने के बाद या पहले अधिरोपित या किया गया हो का अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नही किया जाएगा।

13. कोटेशन, जो सभी या कोई भी शर्तें पूरा नही करते है, या किसी भी संबंध में अपूर्ण है तो तुरंत निरस्त किये जाएंगे।

14. निविदा का कार्य से संबंधित कोई भी अस्पष्टता या विसंगति की पुष्टि कोटेशन प्रस्तुत करने से पहले लिखित रूप से करनी चाहिए।

15. कोटेशन के संबंध में पक्ष-प्रचार/संस्तुति की पूरी तरह मनाही है और विक्रेता/निविदाकार जो कोटेशन प्रस्तुत करेंगे यदि वे पक्ष-प्रचार करेंगे तो उनकी निविदा रद्द कर दी जाएगी।

16. स्वीकृति के उद्देश्य और कार्य प्रदान करने के उद्देश्य से खोले गए प्रस्तुत निविदा 90 दिन तक वैध रहेंगे और निविदा खुलने के 90 दिन बाद पारस्परिक सहमति से वैध रहेंगे।

17. बोलीकर्ता अंको एवं शब्दों में दर उद्धृत करेंगे। वे कार्य के प्रत्येक मद पर शब्दों और अंकों में राशि की गणना करेंगे। यदि बोलीकर्ता द्वारा अंकों और शब्दों में उद्धृत दर में कोई विसंगति पाई जाती है तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

    17.1 जब शब्दों और अंकों में दर के बीच भिन्नता होगी तब बोलीकर्ता द्वारा गणना किए गए राशि के अनुपात में दर को सही माना जाएगा।

    17.2 जब बोलीकर्ता किसी मद की राशि की गणना नही की है या दर शब्दों या अंकों के अनुपात में नही हो तो बोलीकर्ता द्वारा शब्दों में उद्धृत दर सही माना जाएगा।

    17.3 जब बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत दर शब्दों और अंको में मेल खाती हो लेकिन राशि की गणना सही नही हो तो बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत दर सही माना जाएगा ना कि राशि।

18. कोटेशन बनाने से पहले बोलीकर्ता को स्थान तक पहुंचने के संबंध में स्थिति, जगह के विस्तार के प्रकृति, कार्य निविदा के संतोषजनक कार्य संपादन हेतु अपेक्षित इलाके और स्थान की कार्य अवस्था के संबंध में पूरी तरह परिचित होने के लिए निरीक्षण करना चाहिए। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय कोलकाता के कार्यालय द्वारा ऐसी परिस्थितियों पर किसी भी प्रकार का विचार नही किया जाएगा।

19. प्रयोजन के अध्यधीन संविदा को समान दर पर आगे बढ़ाए जा सकता है।

भुगतान की शर्तें :

20. संतोषजनक निष्पादन के अध्यधीन प्रत्येक तिमाही के अंत में तिमाही आधार पर फर्म को भुगतान किया जाएगा।

21. यदि निष्पादन संतोषजनक नही पाया गया तो उस तिमाही का भुगतान जब्त कर लिया जाएगा और अगर असंतोषजनक निष्पादन जारी रहा तो संविदा को निरस्त किया जाएगा।

22. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय कोलकाता किसी भी निविदा को पूरी तरह या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताए स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार रखता है।

23. उपबंधो के उलंघन या अन्यथा हेतु संविदा के अवधि के दौरान दोनों में से किसी पार्टी द्वारा संविदा निरस्त करने का एक महीनें का नोटिस भेज सकते है।

24. बोलीकर्ता/संविदाकार द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक बिल की राशि पर 2% की दर से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।

भ्रष्ट या धोखाधड़ी व्यवहार :

25. बोलीकर्ता और आपूर्तिकर्ता निविदा के कार्य संपादन में आचार संहिता का उच्चतम मानक अपनाएंगे।

26. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय कोलकाता अवार्ड के प्रस्ताव को निरस्त कर सकते है यदि यह निश्चित हो जाता है कि बोलीकर्ता जिसे अवार्ड हेतु संस्तुति की गई है इस निविदा में स्पर्धा हेतु भ्रष्ट या धोखाधड़ी व्यवहार में शामिल था।

27. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय कोलकाता उस फर्म को या तो अनिश्चित काल के लिए या किसी खास अवधि के लिए कार्य प्रदान करने हेतु अयोग्य घोषित करेंगे यदि किसी भी समय यह निश्चित हो जाता है कि फर्म बोली प्राप्त करने हेतु या निविदा के निष्पादन में भ्रष्ट या धोखाधड़ी व्यवहार में शामिल था।

अभिलेख/दस्तावेज की प्रस्तुति :

28. निविदा का उद्धृत मूल्य का विवरण।

29. सेवा कर प्रमाण पत्र पंजीकरण की स्व प्रमाणित प्रतियां।

30. पैन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रतियां।

31. ट्रेड लाईसेंस की प्रति।

32. टेंडर फार्मेट (संलग्नक-III)

33. आयकर प्रमाणपत्र।

प्रशांत
06/12/16

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (अभिलेख)
प.नि.ले.प. केन्द्रीय, कोलकाता